



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04102025-266674
CG-MH-E-04102025-266674

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4393]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947

No. 4393]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 3 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4519(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड 37ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "पश्चिम रेलवे पर अहमदाबाद डिवाजन के सामाखियाली-गांधीधाम खंड में एल.सी. संख्या 225, 235, 199, 200, 203, 205, 211, 215, 219, 227, 229, 231 और 233) को बंद करने के संबंध में सड़क उपरी पुल (आरओबी) का निर्माण" को एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है। गुजरात राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए, इस अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र में उपलब्ध कराने के लिए।

[फा. सं. ई- 675406]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd October, 2025

S.O. 4519(E).—In exercise of the powers conferred by clause 37A of Section 2 of the Railways (Amendment) Act 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridges (ROB) in connection with closure of L.C No. 225, 235, 199, 200, 203, 205, 211, 215, 219, 227, 229, 231 & 233) in Samakhiali-Gandhidham section of Ahmedabad Division on Western Railway.” as a Special Railway project. for acquisition of land in the State of Gujarat, for providing of this notification in the Official Gazette.

[F. No. E- 675406]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager (C)-II